

**अनुदान संख्या 4 - कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय**  
**GRANT No. 4-MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	944,82,00		
			957,35,00	954,24,66
पूरक	Supplementary	12,53,00		-3,10,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,04,60
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	1,81,00	1,16,00	-65,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			65,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (310.34लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1253.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग आधा प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.310.34 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grant of Rs.1253.00 lakhs obtained in March, 2006 and nearly half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"			
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries			
मू.	O.	85842.00		
पू.	S.	1252.00	95429.40	95424.66
पु.	R.	8335.40		-4.74

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष '2552' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Head Major Head "2552" North Eastern Areas		
मू.	O.	8540.00	
पू.	S.	1.00	1.00
पु.	R.	-8540.00	-1.00

(I) 8641.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8541.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष '2552' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लिए प्रावधान" के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष '2851' - "अन्य ग्रामोद्योग - पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने संबंधी निधियों की स्कीम" के अंतर्गत 2550.00 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडीय अभिकरणों द्वारा पारंपरिक उद्योगों के विकास के लिए समूहों की पहचान न किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10332.79 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि कि मुख्य शीर्ष '2851' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1252.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग"- 2559.00 लाख रु.।

(खा) "नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा बोर्ड"- 191.27 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 191.28 लाख रु. था।

(I) Provision of Rs.8641.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.8541.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2851" - "Other Village Industries - Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries" - saving of Rs.2550.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to non-identifying clusters for development of traditional industries by nodal agencies.

2.(I) The above savings were partly (Rs.10332.79 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1252.00 lakhs under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Khadi and Village Industries - Khadi and Village Industries Commission" - Rs.2559.00 lakhs.

(B) "Coir Industries - Coir Board" - Rs.191.27 lakhs. Actual excess, however, was Rs.191.28 lakhs.

(गा) “बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए रोजगार स्कीम- प्रधान मंत्री रोजगार योजना”-7582.52 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7577.79 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ‘2851’ - “अन्य ग्रामोद्योग - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - एचपीसी की सिफारिश लागू किया जाना” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 691.00 लाख रु. का अधिक व्यय (36995.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ‘2552’ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 50.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ‘4552’ - “पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय” के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(C) “Employment Scheme for Unemployed Educated Youth - Prime Minister Rojgar Yojana”- Rs.7582.52 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7577.79 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851”- “Other Village Industries - Rural Employment Generation Programme-Implementation of Recommendation of HPC”- excess of Rs.691.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36995.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “4552”- “Capital Outlay on North Eastern Areas”.